

29.5.24 वकील उममपति उपस्थित। इंद्रि भार्गवा-
-पत्र से संबंधित मूल कांड का निहजरत
हो चुका है। अतः भार्गवा-पत्र 212 RTA
खतः से आधिकारीय होने के कारण
वर्तमान हल पर खारिज किया जाएगा
पत्रावली नष्ट है मग भी गायब है।
नवनील शर्मा उपस्थित है।

(^{१६} सुखान्त गुला)

उपखण्ड अधिकारी एवं
गठन सहायक कलेक्टर
दिल्ली

